

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर

क्रमांक : 11

दिनांक : 09.02.2026

कार्यालय आदेश

मैं अम्बिका सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13(2) व 450(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक कारणों से इस कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 9 दिनांक 30.01.2026 में आंशिक संशोधन कर उदयपुर न्याय-क्षेत्र में स्थित न्यायालयों से संबंधित पुलिस थानों के न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा, जमानत संबंधी व अति आवश्यक कार्य जैसे - मृत्यु कालीन कथन, मृत्यु समीक्षा (Inquest) करने हेतु निम्न सारणी के कॉलम संख्या-3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट को उनके नाम के पूर्व कॉलम संख्या-2 में अंकित दिनांक के लिए अधिकृत करती हूँ :-

(Time 11:00 am to 1:00pm)

1	2	3	4
क्र. सं.	अवकाश दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन	मोबाईल नम्बर
1.	14.02.2026	श्रीमती चेताली गोयल, Spl. J.M. (N.L.Cases) No.8, Udaipur	9414819333
1.	15.02.2026	श्री देवेन्द्र पुरी, A.C.J. & J.M. No.1 (South), Udaipur	8007244161

नोट:- शेष अवकाश दिनांक हेतु पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.01.2026 यथावत प्रवर्तनीय रहेगा।

(अम्बिका सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)

क्रमांक - स्था./2026/256-263

दिनांक : 09.02.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को जरिए ई-मेल प्रेषित है -

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक उदयपुर को संबंधित थानाधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित समय पर रिमांड आदि प्रस्तुत करवाए जाने हेतु।
3. संबंधित न्यायालय N.D. 08, Udaipur, South 01, 256-263, JM North Udaipur
4. उप निदेशक, अभियोजन विभाग को एपीपी की ड्यूटी की व्यवस्था हेतु।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उदयपुर।
6. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, उदयपुर

(अम्बिका सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.) ९/८